न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

113

प्रकरण संख्या :–23/24

बनाम

प्रार्थी	अप्रार्थी
पंजाब नेशनल बैंक पाल रोड़, जोधपुरजरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरज कुमार चौहान	• मैसर्स रतना आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रोपराईटर नटवरलाल व्यास पुत्र घनश्याम व्यास प्लोट न. 4 खसरा न. 59/6, गांव तनावडा तहसील लूणी, जोधपुर ग्रामीण • रतन बेन व्यास पत्नि घनश्याम व्यास वार्ड नम्बर 201, चाणक्य नगर, पाल रोड़ जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :– आदेश दिनांक :–03.09.2024

1–विरेन्द्र सिंह इन्दा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मैसर्स रतना आर्ट एण्ड क्राफ्ट प्रोपराईटर नटवरलाल व्यास पुत्र घनश्याम व्यास व अन्यकेविरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 84,21,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **नटवरलाल व्यास पुत्र घनश्याम व्यास** की जायदाद **मकान/प्लॉट न. 201, खसरा न. 149/2, गांव चौपासनी जागीर, चाणक्य नगर, ईस्ट वेस्ट पाल रोड, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट, जिसके उत्तर में 40 फीट रोड, दक्षिण में अन्य भूमि, पूर्व में इसी प्लोट का शेष पूर्वी हिस्सा 201–ए एवं पश्चिम में प्लोट नम्बर 200 आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०)

120

नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 16.04.2024 तक 77,48,087.36/–रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 84,21,000/–मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 16.04.2024 तक 77,48,087.36/–रूपये वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **नटवरलाल व्यास पुत्र घनश्याम व्यास** की जायदाद **मकान/प्लॉट न. 201, खसरा न. 149/2, गांव चौपासनी जागीर, चाणक्य नगर, ईस्ट वेस्ट पाल रोड, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट. जिसके उत्तर में 40 फीट रोड, दक्षिण में अन्य भूमि, पूर्व में इसी प्लोट का शेष पूर्वी हिस्सा 201–ए एवं पश्चिम में प्लोट नम्बर 200 आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को सुनाया गया।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज०